Impact Factor (SJIF): 6.092 E-ISSN: 2583-1615

International Journal of Research in Academic World

Received: 29/July/2023 IJRAW: 2023; 2(8):228-231 Accepted: 23/August/2023

ओडिशा की स्वतंत्रता के संरक्षकः शहीद जय कृष्ण राजपुरोहित

[*1]डॉ लता अग्रवाल और [2]इतिराज शर्मा

[*1]प्रोफेसर, इतिहास विभाग, स.पृ.चौ.रा. महाविद्यालय, अजमेर, राजस्थान, भारत।

[2]शोधार्थी, इतिहास विभाग, स.पृ.चौ.रा. महाविद्यालय, अजमेर, राजस्थान, भारत।

सारांश

जून 1757 ई–के प्लासी युग के बाद ब्रिटिश ईस्ट इ.डिया कम्पनी ने भारत के बंगाल और मद्रास को अधिग्रहित कर अपनी सर्वोच्च संप्रभुता को मूर्त रूप प्रदान करने और राजस्व वसूली व व्यापार पर एकाधिकार स्थापित कर सुदृढ़ीकरण कर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने के प्रयास प्रारम्भ कर दिये। बरार के मराठा सरदार रघुजी भौसलें द्वितीय और ईस्ट इंडिया कम्पनी के मध्य 17 दिसम्बर, 1803 ई. को हुई देवगढ़ की संधि में ओडिशा का क्षेत्र कंपनी को बिना किसी प्रयास के ही विरासत में प्राप्त हो गया। कम्पनी ने खुर्दा राज्य के दक्षिण के गंजाम क्षेत्र में एक किला बनाकर ब्रिटिश अधिकारी कर्नल हरकोर्ट ने सुखा व अकाल की स्थिति होते हुए भी अधिकाधिक जबरन राजस्व वसूली प्रारम्भ कर किसानों के मालिकाना हक व विशेषाधिकार अनिश्चित काल के लिए समाप्त कर दिए। खुर्दा के व्यापार पर नियंत्रण और अर्थव्यवस्था को संचालित करना प्रारम्भ कर दिया। साथ ही जिसका विरोध सर्वप्रथम खुर्दा राज्य के प्रशासनिक व राजस्व अधिकारी जय कृष्ण राजपुरोहित महापात्रा ने कंपनी की नीतियों का विरोध किया। 20 दिसम्बर, 1803 को कंपनी के ऐजेंट कर्नल जॉजफ स्पैल ने खुर्दा नरेश मुकुन्द देव द्वितीय के पास कंपनी की संप्रभुता स्वीकारने व व्यापार के लिए सुरक्षित मार्ग प्रदान करने का संधि प्रस्ताव भेजा जिसे राजा ने संधि विग्रहक जय कृष्णराजपुरोहित महापात्रा के कहने पर अस्वीकार कर दिया। ओडीशा में औपनिवेशिक शासन के विस्तार के लिये यह चुनौती बन गया। कंपनी ने राजा को जगन्नाथ मंदिर के पाम्परिक अधिकारो से वंचित कर देने के कारण अक्टूबर 1804 को कम्पनी व खुर्दा की पाइका सेना के मध्य जय कृष्ण राजगुरू ने गुप्त रणनीतियों के द्वारा पीपली स्थान पर युद्ध किया। 15 दिसम्बर के भीषण संग्राम के बाद 3 जनवरी 1805 को राजा व जय कृष्ण राजगुरू को बंदी बनाकर कटक से मिदनापुर जेल में भेज दिया गया। राजा को मुक्त कर दिया गया और जय कुष्ण राजगुरू को ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ युद्ध करने का सरगना मानकर दोषी करार कर फांसी की सजा सुनाई गई और 6 दिसम्बर 1806 को बागिटोटा मिदनापुर में फांसी दे दी गई। ओडीशा के प्रथम सेनानी जय कुष्ण राजगुरू महापात्रा ने ब्रिटिश राज के बढ़ते अत्याचारी नीति के विरूद्ध लड़ते हुए शहादत प्राप्त की।

सारांशः कंपनी, औपनविेशिक शासन, ओडिशा, खुर्दा, मिदनापुर

प्रस्तावना

भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित ओडिशा स्थलाकृति में पूर्व में बंगाल की खाड़ी क उन्नत किस्म की उपजतटीय मैदान के मध्य स्थित है। अधिक पैदावार वाले जलोढ़ मैदानों और महानदी ब्राह्मणी और वैतरणी नदियों की घाटियों से बना महानदी डेल्टा जो अधिकतम चौड़ाई पाले भू–भाग बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। ओडीशा की हिंद महासागर में बंगाल की खाड़ी के साथ 485 किलोमीटर तथा 301 मील की तट रेखा वाला भू भाग उत्कल नाम से जाना गया जिसका उल्लेख भारत के राष्ट्र गान जन–गण–मन में किया गया। सम्राट अशोक द्वारा अधिकृत कंलिंग राज्य जिसे खारवेल ने पुनः जीत लिया वह ओडीशा की सीमाओं का राज्य ही था। समुद्री सीमाओं ने विदेशी व्यापार को समृद्ध किया। 1751 ई–में बंगाल के अलीवर्दी खान ने इस क्षेत्र को मराठा साम्राज्य को सौंप दिया। कंपनी और कर्नाटक राज्य के मध्य हुए द्वितीय युद्ध 1749–1754 में विजयी कंपनी को पांडिचेरी की संधि के अनुसार ओडिशा का दक्षिणी तट व्यापार के लिए प्राप्त हो गया। 1762 ई. तक ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने इस भू–भाग को मद्रास प्रेसीडेन्सी में सम्मलित कर लिया। 1803 ई. में उड़ीसा के पुरी कटक क्षेत्र से मराठों को बाहर कर ओडिशा के उत्तर और पश्चिमी क्षेत्रों को बंगाल प्रेसिडेंसी में शामिल कर लिया।

ओडीशा का स्वतंत्र खुर्दा राज्य $84^0$55'' से $86^0$5'' पूर्वी देशान्तर और $19^0$40'' से $20^0$25'' उत्तरी अक्षांश के मध्य 2813 वर्ग किलोमीटर के आदिवासी समूह से आबाद रहा। जो एक ओर वरूनी पहाड़ी और दूसरी ओर घने जंगलों से आच्छादित होने के कारण 1803 ई. तक मराठा और मुस्लिम घुड़सवार सेना व अन्य बाहरी शक्तियों के निरन्तर आक्रमणों से सुरक्षित रहा। आर्थिक दृष्टि से विकसित व समृद्ध क्षेत्र खुर्दा हथकरघा उद्योग का एक महत्वपूर्ण केन्द्र रहा।

ओडिशा सामुद्रिक व्यापारिक मार्ग, प्राकृतिक सम्पदा व भौगोलिक स्थिति के कारण विदेशी व्यापारियों के लिए आकर्षण का केन्द्र

***Corresponding Author:** डॉ लता अग्रवाल

रहा। पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी के 450 किलोमीटर के समुन्द्र तट से प्लावित होने के कारण व्यापारिक दृष्टि से समृद्ध तथा राज्य में मानसून के दौरान आने वाली बाढ़ के परिणाम स्वरूप मैदानी उपजाऊ भूमि ने व्यापार को देश–विदेश में उन्नत किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी ने भारत के पूर्वी क्षेत्र के बंगाल राज्य को जल–थल व्यापारिक दृष्टि से समृद्ध होने के कारण है उसे अधिकृत करने का प्रयास किया और 1757 ई. में प्लासी के युद्ध और 1764 ई. के बक्सर युद्ध में फूट डालो राज करो की नीति के द्वारा ओडीशा को भी अधिकृत करने का प्रयास प्रारम्भ किया। 17 दिसम्बर,1803 ई. को रघु जी भोसले व ईस्ट इंडिया कम्पनी से संधि करने के बाद कम्पनी को बंगाल,बिहार,उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई।

उन्होंने खुर्दा के दक्षिण में गंजम में एक किला बनवाया। गंजम और मदीनापुर के बीच परिवहन के उद्देश्य से, उन्होंने 1798 ई. में खुर्दा के राजा के विश्वासघाती भाई श्यामसुंदर देव की मदद से खुर्दा पर हमला किया। उस समय खुर्दा राजा गजपति दिब्यसिंह देव की आकस्मिक मृत्यु के बाद भी, जया राजपुरोहित ने उन्हें अपने प्रयास में सफल नहीं होने दिया। कम्पनी के करारोपण व जबरन वसूली की नीति व सामंती भूमि की जब्ती का विरोध उड़ीसा खुर्दा के राजा मुकंद देव द्वितीय के कानूनी सलाहकार जयी राजपुरोहित ने किया। गंजम के जिला मजिस्ट्रेट कर्नल हरकोर्ट ने खुर्दा के राजा के साथ गंजम और बालासौर के संचार के लिए एक समझौता किया। यह सहमति हई थी कि अंग्रेज राजा को मुआवजे के रूप में एक लाख रूपये का भुगतान करेंगे और 1760 ई. से मराठों के नियंत्रण में चार प्रागनाओं को वापस करने के लिए, उन्होंने दोनों तरीकों से धोखा दिया। राजगुरू ने दोनों को पाने की बहुत कोशिश की, लेकिन असफल रहे। 18.3–1804 ई. में उन्होंने धन इकठ्ठा करने के लिए दो हजार सशस्त्र पाइक के साथ कटक तक मार्च किया गया था और उन्हें परगना देने से मना कर दिया गया था।

जय कृष्ण राजपुरोहित ने स्थानीय किसानों के नागरिकों से कम्पनी को कर नहीं देने को कहा और कम्पनी की सेना का सामना करने के लिए सैनिक संगठन प्रारम्भ किया। उन्होंने गॉव के युवाओं को संगठित किया और उन्हें सैन्य अभ्यास और हथियार और गोला–बारूद बनाने का प्रशिक्षण दिया। साथ ही कुजंगा, कनिका, हरीशपुर, मारीचिपुर और अन्य राजाओं ने खुर्दा के राजा के साथ गठबंधन किया और खुर्दा की सेना को युद्ध के लिए तैयार किया। दिसम्बर 1804 ई. में बरूनी के युद्ध में खुर्दा की प्रशिक्षित पायका सेना ने कम्पनी के अधिकारियों व सेना को खुर्दा से निष्कासित कर दिया।

खुर्दा साम्राज्य के दरबार में जय कृष्ण राजपुरोहित पेशे से एक रियासत–पुजारी, राजगुरू पद से सम्मानित रहे। प्रशासन के प्रमुख और खुर्दा की सेना के प्रमुख सेनापति के रूप में नियुक्त थे।

इनके द्वारा साम्राज्य की सुरक्षार्थ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी के घुसपैठियों के खिलाफ विद्रोह किया गया। ब्रिटिश नियंत्रित क्षेत्रों को अधिकृत करने के लिए जय कृष्ण राजपुरोहित ने मराठों के साथ सहयोग से गुरिल्ला अभियान के दौरान मराठा दूत को अंग्रेजों के पकड़ लिया और उसने मौत के भय से जय कृष्ण राजपुरोहित की गुप्त रणनीतियों को कम्पनी के अधिकारियों के समक्ष खुलासा कर दिया। राजा के दरबार से उसे हटाने में विफल रहने परख् ब्रिटिश सेना ने खुर्दा के किले पर हमला किया और राजा व जयी राजपुरोहित को बंदी बनाकर उसे राज्य में और हिंसा के डर से कटक से मिदनापुर जेल भेज दिया गया। राजा को रिहा कर दिया गया और जय कृष्ण को कम्पनी के अधिकारियों ने समर्पण के लिए कहा परन्तु अपने राजा और साम्राज्य की सुरक्षार्थ समर्पण करने व माफी मांगन से इनकार कर दिया। फलतः जय कृष्ण का ट्रायल मदीनापुर के बघीटोटा की ब्रिटिश अदालत में किया गया था। उन्हें ''भूमि की कानूनी रूप से स्थापित सरकार के खिलाफ'' युद्ध छेड़ने के लिए दोषी घोषित किया गया था। उसे मृत्यु तक फांसी देने का आदेश दिया गया था। 6 दिसम्बर, 1806 ई. को और बगीटोटा, मिदनापुर में फांसी दे दी गई। जय कृष्ण राजपुरोहित ने भारत राष्ट्रीयता की रक्षार्थ स्वयं के प्राणों की आहुति दे दी और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम प्रेरक शहीद जय कृष्ण राजपुरोहित रहे।

जयकृष्ण महापात्र उर्फ जयी राजगुरु एक महान स्वतंत्रता सेनानी एवं ओडीशा के शहीद थे जिनका जन्म 29 अक्टूबर, 1739 ई. में बृहरेकृरूणपुर नामक गांव में हुआ था जो पुरी जिले से 5 कि.मी. दूर है उनके पूर्वजों ने खुर्द 1 के राजदरबार में राजगुरू के रूप् में अपनी सेवाएं प्रदान की। राजगुरू के परिवार आनुवांशिक रूप से खुर्द के राजा को राजनीतिक, सैनिक एवं आध्यात्मिक सलाह दिया करते थे। जयी राजगुरु का नाम औडिशा के इतिहास में एक प्रेरणादायी स्त्रोत है जो अदम्य साहस एवं अटूट आत्मविश्वास का प्रतीक माना जाता है। इतिहास में इनका पदार्पण उस समय हुआ जब उड़ीसा को मुगलों से तो मुक्ति मिल गई, परन्तु मराठा समस्या ने उन्हें घेर लिया एवं ब्रिटिश सरकार नामक शत्रु वैसे ही घात लगाए बैठा था। 41 वर्ष की आयु में राजा दिव्यसिंह देव–द्वितीय ने उन्हें राजगुरू पद पर नियुक्त किया। दुर्भाग्यवश 1798 ई. में दिव्यसिंह देव–द्वितीय की मृत्यु हो गई एवं उनके उत्तराधिकारी मुकुन्द देव–द्वितीय अल्पायु के थे। अतः दिवंगत राजा के भाई ने सिंहसनारूढ होने का भरसक प्रयास किया परन्तु जयी राजगुरू के प्रयासों से मुकुंद देव–द्वितीय सत्ता पर अधिकार प्राप्त कर पाए।पूर्व स्वतंत्रता युग में उड़ीसा के भाई राजवंश के अंतिम महान स्वतंत्र गणपति राजा मुकुंद देव–द्वितीय ही हुए। उनके साम्राज्य की सीमा कटक में महानदी से लेकर गंजाम में खिमड़ी तक विस्तृति थी। मुकुंद देव–द्वितीय के पूर्वज रामचन्द्र देव थे जिन्होंने 1571 ई. में स्वयं को 'गणपति राजा' घोषित करते हुए उड़ीसा में भोई राजवंश की स्थापना की। उड़ीसा के समस्त राजा सामंत हुआ करते थे परंतु रामचंद्र देव ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित करते हुए उड़ीसा में विदेशी आक्रमण रोकने हेतु खुर्द में अपनी राजधानी स्थापित की। 234 वर्षों की समयावधि में भोई राजवंश के लगभग 12 राजाओं ने शासन किया। मुकुंद देव–द्वितीय को अपने पूर्वजों से विरासत में 129 किले मिले थे जो उसके शासन काल में 71 रह गए।

1760 ई. में खुर्द साम्राज्य एक अवांछित दुर्भाग्यपूर्व स्थिति में पड़ गया। उस समय मुकुंददेव–द्वितीय के पितामह बृहकिशोर देव खुर्द के शासक थे । पराला के राजा नारायण देव ने स्वयं को गंगवंश का उत्तराधिकारी बताते हुए खुर्द पर अपना अधिकार स्थापित करने की चेष्टा की। नारायण देव से युद्ध में सक्षम न हो पाने के कारण बृहकिशोर देव ने मराठा सहायता की अपेक्षा की परन्तु मराठा शासक शिवराम साठे, जो उस समय नागपुर के भौंसले राजवंश के शासक थे, ने मदद के बदले खुर्द के चार प्रमुख परगनों (रहांग, छब्बीसकूद, सेगई एवं लेम्बाई) की मांग की। साथ ही पुरी के पुरूषोत्तम क्षेत्र पर भी अधिकार मांगा एवं एक लाख रूपये की मांग भी की।

खुर्द साम्राज्य के लिए एक बहुत बड़ी अध्यक्ष एवं राजनीति हानि थी जिसके कारण राजा बृहकिशोर देव बीमार एवं मानसिक रोगी हो गए। खुर्द की ये अर्थव्यवस्था जयी राजगुरु की नियुक्ति तक बनी रही। जयी राजगुरु ने कई आर्थिक नीतियों एवं सुधारों के माध्यम से स्थिति को नियंत्रित किया। उन्होंने खुर्द की सेना में प्रशिक्षित पाइकाओं की भर्ती करके खुर्द की सेना को सक्षम एवं मजबूत बनाने का प्रयास किया। उनके प्रयासों से खुर्द आर्थिक एवं सैन्य क्षेत्र में मजबूत बन सका।

ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 ई. में प्लासी के युद्ध में बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा प्रांत के नवाब सिराज–उद्–दौला को पराजित किया इसके परिणाम स्वरूप उड़ीसा का मिहनापुर क्षेत्र अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में आ गया। धीरे–धीरे वे आगे बढ़े एवं बालासोर में फैक्ट्री की स्थापना की। उन्होंने उड़ीसा में अपना व्यापार फैलाने का प्रयास किया। 1765 ई. में हैदराबाद के निजाम से दक्षिणी उड़ीसा का क्षेत्र, जिसमें गोदावरी नदी से लेकर चिलका झील तक सीमाऐं सम्मिलित थी, वह लेने में कम्पनी असफल रही। उन्होंने खुर्द साम्राज्य के दक्षिण में स्थित गंजाम ऋषिकुल्य नदी के पास

एक दुर्ग का निर्माण करवाया। दुर्ग–निर्माण के पीछे अंग्रेजों का उद्देश्य खुर्द होते हुए गंजाम से बालासौर तक व्यापार मार्ग तैयार करना था ताकि व्यापारिक सामान के आवागमन में उन्हें सुविधा हो। इसके अलावा उन्हें कलकत्ता से मद्रास अपनी सेनाओं के मार्च के लिए एक थल–मार्ग की आवश्यकता थी। जो खुर्द साम्राज्य से होकर ही निकलता था। इसलिए खुर्द साम्राज्य पर अधिकार करना कम्पनी के लिए प्रशासनिक एवं व्यापारिक दोनों ही दृष्टि से आवश्यक था। इसके लिए उन्होंने स्वर्गीय राजा दिव्यसिंह देव–द्वित्तीय के एक भाई श्यामसुंदर देव का इस्तेमाल करते हुए 1798 ई. में खुर्द के राजा से थल–मार्ग हेतु वार्ता करने में प्रयास किया परन्तु जय राजगुरु की दृढ़ता के कारण वे सफल नहीं हो पाए। यह राजगुरु एवं अंग्रेजों का प्रथम आमना–सामना था। राजगुरु का उद्देश्य खुर्द को सुरक्षा प्रदान करना था। 1803 ई. में कर्नल हरकोर्ट जो कि गंजम के जिला न्यायाधीश थे, ने मराठों के साथ 'देवताओं की संधि' पर हस्ताक्षर किए। संधि के प्रावधानों के अनुसार रहांग, छब्बीसखुर्द, सेरई और लेम्बई के परगना को मराठों के अधिकार से हस्तान्तरित कर अंग्रेजों को दे दिया गया। इसके साथ ही कर्नल हरकोर्ट ने अपने एक एजेंट को खुर्द भेजा ताकि राजा को गंजाम और बालासौर के बीच का भूमि मार्ग देने के लिए राजी कर सके। राजा से नए समझौते पर हस्ताक्षर करने को कहा गया जिसमें उन्हें 1 लाख रूपये चार परगना और पुरी के जगन्नाथ मंदिर की अध्यक्षता के बदले आश्वस्त किया गया। राजा मुकुंद देव–द्वितीय राजी हो गए। पहले राजा को 10,000/–रूपये नगद दिए गये जो कि समझौते के नियम व शर्तों में शामिल था परंतु अंग्रेजों ने परगने से इंकार कर दिया जो कि समझौते के नियम व शर्तों का उल्लंघन था। इसके स्थान पर उन्होंने दूसरा समझौता राजा के सामने हस्ताक्षर करने के लिए प्रस्तुत किया जिसे जयी राजगुरु के जोरदार विरोध के बाद निरस्त कर दिया गया।

अब अंग्रेजों को अंदाजा लग चुका था कि जयी राजगुरु खुर्द प्रशासन मुख्य व्यक्ति है जो कि समझौते के निरस्त होने का कारण है। अंग्रेजों ने जयी राजगुरु को राजा के सलाहकार के पद से हटाने की योजना बनाई और इस हेतु ब्रिटिश अधिकारी ने खुर्द के राजा के पास उसको 50,000/–रूपये की रिश्वत के साथ अपना एक दूत राजगुरु को हटाने के लिए भेजा जो कि असफल होकर लोटा। इसी बीच जयी राजगुरू बचा हुआ पैसा इकट्ठा करने के लिए अपने 2000 सैनिकों के साथ कटक पहुंचा, परंतु वह 40,000/–रूपये ही पाया। उन्होंने वो पैसा अपने सैनिको में बकाया वेतन के तौर पर बांट दिया परन्तु वे चार पगरना प्राप्त करने में असफल रहे।

अंग्रेजों के परगना देने से इंकार करने के कारण जयी राजगुरु बहुत नाराज हो गए। उन्होंने अपने सैनिकों को किसी भी परिस्थिति में अंग्रेजों का सामना करने के लिए तैयार किया। मुकुंद देव–द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य ये खुली दुश्मनी अपरिहार्यता हो गई थी। जयी राजगुरू अंग्रेजों की चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार थे। उन्होंने नागपुर के भौंसले शासक से मदद मांगी। बरार के दो अधिकारी अंताजी नायक और कनोजी नायक, खुर्द के राजा से मिले एवं अंग्रेजों के विरुद्ध अपने आदमियों व सेना के साथ मदद करने का वाद किया। उनके इस कार्य हेतु उड़ीसा के मुख्य सहायकों से भी साथ देने का अनुरोध किया गया। एक धार्मिक भिक्षुक शंभु भारती को इस हेतु नियुक्त किया गया ।

कुजंग और कनिका के राजा अंग्रेजों का विरोध करने के लिए खुलकर सामने आए। खुर्द, कनिका व कुजंग के राजाओं ने एक त्रिगुट बना लिया। बिशनपुर, हरिपुर और मरिचपुर के जमींदारों ने भी इस संघ में साथ दिया।

जयी राजगुरु अपने अधिकारों को बलपूर्वक लेने के लिए दृढ़ निश्चयी थे। 1804 ई. में पीपली के निकट बटगांव से कर वसूली के लिए अच्युत बैंक ने एक मुकद्दम नियुक्त किया। उसने विवादित पगरनों के गांवों से भी कर वसूलने के लिए एक धर्मूहरिचंदन नामक व्यक्ति को नियुक्त किया। खुर्द की सैनिक टुकड़ियों ने उस जगह के कुछ गांवों में छापेमारी की। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के प्रबंधन को अपने हाथ में लेने के लिए जयी राजगुरु ने कदम उठाये।

अंग्रेजों के लिये ये शत्रुतापूर्ण कार्य थे। अतः उन्होंने कड़ी कार्यवाही करने का निर्णय किया। उन्होंने शंभु भारती, जो आयोजित अंग्रेज विरोधी आंदोलन के मुखिया थे, को गिरफ्तार कर लिया। रामेश्वर व पंचगढ के दलभेरों, मेंघासल के खण्डेतों तथा गढ़ हल्दिया के जमींदारों के राजा की मदद न करने के आदेश दिये। ब्रिटिश प्रबंधन ने खुर्द के राजा को एक आदेश पारित कर परगनों से राजस्व वसूलने से रोक दिया।

अंग्रेजों ने राजा को जगन्नाथ मंदिर के परंपरागत अधिकारों से भी वंचित कर दिया। नवंबर 1804 ई. में राजा के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई की गई। एक घोषणा के साथ ही राजा को राज्य से हटा दिया और राज्य को ब्रिटिश उड़ीसा में संलग्न कर दिया गया। जयी राजगुरु ने खुर्द की पाईक सेना को भेजकर पीपली में ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया।

खुर्द के पाइकाओं के हाथ में पीपली के जाने से अंग्रेज अधिकारी जो कटक में थे, चिंतित हो गये। कर्नल हरकोर्ट ने ब्रिटिश राज को खुर्द पर कब्जा करने के लिए अतिरिक्त सैन्य टुकड़ियां भेजने की अपील की। ब्रिटिश सेना ने हर तरफ से खुर्द की और कुच किया। कैप्टन हिक्लैण्ड ने पाइकाओं को परास्त कर देलांग पर कब्जा कर लिया। कर्नल हाईकोर्ट ने बरूनई की तलहटी में स्थित किले को चारों ओर से घेर लिया। मेजर रॉबर्ट फ्लेचर ने भी किले पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दिया। राजा अपने विश्वासपात्रों को साथ किले से पलायन कर गया। काइपादर के जंगल से राजा ने अपने वकील को कर्नल हरकोर्ट के पास समझौता करने के लिए भेजा परन्तु वकील को गिरफ्तार कर लिया गया। जयी राजगुरु को गिरफ्तार कर कटक के बाराबाती के किले की जेल में रखा गया।

अपनी गिरफ्तारी से पहले जयी राजगुरु ने बड़ी चतुराई से अपने एक वफादर पाइक दुर्गाचरण सिंह के साथ राजा मुकुंददेव सिंह–द्वितीय का पलायन करवाया और पुरी के गंगामाता मठ में पहुंचवाया। उन्होंने मठ के महंत को एक संदेश भिजवाया कि राजा मुकुंददेव–द्वितीय को वहां गुप्त रूप से भेष बदलकर रखना है और अच्छी देखभाल करनी है। परंतु दुर्भाग्य से राजा मुकुंद देव–द्वितीय ने अपनी सुरक्षा के लिए फतेह मोहम्मद, जो कि बनापुर का फौजदार था, से संपर्क किया और फतेह मोहम्मद ने कर्नल हरकोर्ट को सूचित कर दिया। फतेह मोहम्मद के विश्वासघात से राजा मुकुंद देव–द्वितीय 3 जनवरी, 1805 ई को गिरफ्तार कर लिए गये। पहले उन्हें कटक के बाराबाती किले की जेल में रखा गया परन्तु बाद में राजा मुकुंद देव–द्वितीय एवं जयी राजगुरू को मिदनापुर जेल में स्थानान्तरित कर दिया गया। मिदनापुर जेल से राजा मुकुंद देव–द्वितीय ने एक याचिका गवर्नर जनरल की काउंसिल में दाखिल की। इस याचिका में उसने कहा कि जयी राजगुरु की नियुक्ति के बाद उसके पास कोई प्रशासनिक बल नही था। उसे वास्तव में खुर्द में एक कैदी की तरह रखा गया था एवं पाइकाओं को भड़काकर ब्रिटिश प्रांत पर छापामारी जयी राजगुरु के इशारों पर की गई।

1807 ई. में ब्रिटिश सरकार ने राजा को रिहा कर दिया किन्तु राजा मुकुंद देव को खुर्द में रहने की आज्ञा नहीं दी गई। उन्हें पूरी में स्थायी निवासी प्रदान कर दिया गया। वह अपने पुरी स्थित बातीशाही महल में रहने लगे। अंग्रेजों ने राजा को जगन्नाथ पुरी मंदिर के परम्परागत अधिकार भी दे दिये। रेगुलेशन–4 1809 ई. के तहत राजा को उसके राज्य का मालिकाना राजस्व 1,00,000/–रूपये भी दिए गए।

जयी राजगुरु की गिरफ्तारी और खुर्द किले के पतन के बाद अन्य सहायक आंदोलनकारियों ने भी ब्रिटिश सेना के सामने समर्पण कर दिया। कनिका के राजा बालभद्र भंज को 1805 ई. में मिदनापुर जेल में भेज दिया गया। कुजंग के राजा चंद्रध्वज सेंधा को गद्दी से हटाकर उनके बड़े भाई मधुसूदन सेंधा को कुजंग का नया राजा बना दिया गया।

जयी राजगुरु का ट्रायल मिदनापुर के बागीतोता में हुआ। कर्नल हरकोर्ट के सवालों के जवाब में जयी राजगुरु ने बेखौंफ होकर कहा कि, ''राजा तो बच्चा था, जो भी किया गया वो सब मैंने ही किया।'' जयी राजगुरु को ट्रायल के बाद मौत की सजा सुनाई गई। उन्हें ब्रिटिश सैनिकों द्वारा बर्बरतापूर्वक 6 दिसंबर, 1806 ई. को मार दिया गया। उन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपना बलिदान दिया और एक शहीद बन गए, स्वयं को एक सच्चा धरती–पुत्र सिद्ध किया।

जयी राजगुरु की युद्ध के मैदान में पराजय इस धरती के इतिहास की एक दुःखद घटना थी। पाईका, जिन पर राजगुरु निर्भर थे, वे ब्रिटिश सेना का सामना नहीं कर पाए। ब्रिटिश सेना विशाल और सुसंगठित थी, पाईकाओं के पास अंग्रेजो की तरह आधुनिक हथियार नहीं थे, वे परंपरागत हथियारों से लड़े। पालिकाओं के पास युद्ध की कोई आधुनिक तकनीक नहीं थी। अतः हार निश्चित थी। परन्तु जयी राजगुरु ने समर्पण के स्थान पर हार को चुना।

भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का श्रेय 1857 ई. के सैनिक युद्ध को दिया जाता है। इस महान घटना के बहुत पहले 1803 से 1805 ई. के मध्य महान ब्रिटिश साम्राज्य का सफाया करने के लिए उड़ीसा की मिट्टी से खुर्द राज्य के जयी राजगुरू के द्वारा स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष को मुख्य रूप से 1857 ई. के सैनिक विद्राह से जोड़ा, इसी प्रकार अंग्रेजों ने मुकुंद देव–द्वितीय के समय जयी राजगुरू के नेतृत्व में उदित हुए खुर्द पाइकाओं को ''पाईका विद्रोह'' करार दिया। भारत सरकार जयी राजगुरू को वर्ष क्रमिक इतिहास का प्रथम स्वतंत्रता सैनानी मानने से इंकार करती आ रही है।

निष्कर्ष

खुर्दा साम्राज्य के जन आन्दोलन के प्रणेता जयकृष्ण राजपुरोहित राजगुरू महापात्रा ने मातृभूमि की रक्षार्थ अग्रेजों की शोषणात्मक कर नीति के विरूद्ध एक उत्कृष्ट युद्ध कौशल रक्षा रणनीति की योजना बनाकर प्रतिरोध किया। वह एक बुद्धिमान रणनीतिकार थे जो शस्त्र विद्या के सभी ज्ञान से भलीभांति परिचित थे। वह संभवतः उड़ीसा के प्रथम साहसी व्यक्ति थे जिन्होने अग्रेजों के विरूद्ध गुरिल्ला युद्ध तकनीक का प्रयोग किया था। वह अग्रेजों के हथियारों की बेहतर गुणवत्ता और अपनी सेना के जवानों के पारम्परिक हथियारों की कमियों से भी अच्छी तरह से वाकिफ़ थे। उनका दृष्टिकोण खुर्दा साम्राज्य की स्वतंत्रता की रक्षा व अग्रेजों की कर नीति के शोषण से रक्षा करना था। अंततः ब्रिटिश अधिकारियों ने फूट डालो राज करो नीति अपनाकर जयकृष्ण राजपुरोहित को बंदी बनाकर धोखे से फांसी दे दी गई। जयकृष्ण राजपुरोहित ने अपने राज्य की स्वतंता को बनाये रखने के लिए निस्वार्थ भाव से अपने प्राणों की आहुति दे दी। अैसे स्वतंत्रता सेनानियों के कारण ही आज सभी भारतीय एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक समाज में सुरक्षित और संरक्षित है।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. ए स्टलिंग एन अकाउंट (ज्योग्राफिकल, स्टेटिसटिकल एवं हिस्टोरिकल) ऑफ ओड़ीसा प्रॉपर और कटक, कलकत्ता, 1904 ई. पृ. 66
2. महोपात्र, के. एन. 'खुर्दा इतिहास', भुवनेश्वर, 1969 ई. पृ. 243–246
3. रथ, जयंत, 'जयी राजगुरूः द वेटेरन लीडर ऑफ खुर्दा राइजिंग 1803, इन कल्चरल हेरिटेज ऑफ ओड़िसा', भुवनेश्वर, 2010 पृ. 318–322
4. ओड़िशा रिकॉर्ड्स, वाल्यूम–2, टॉवर, डब्ल्यू. वाई, जे.पी. पृ. 19
5. पाइका उड़ीसा की एक पारंपरिक भूमिगत रक्षक सेना थी। वेयोद्धाओं के रूप में लोगों की सेवा करते थे। इन्होंने भगवान जगन्नाथ को उड़ीसा एकता का प्रतीक मानकर बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में 1817 ई. में विद्रोह कर दिया था जो इतिहास में पाइका विद्रोह के नाम से जाना जाता है।
6. बंगाल सीक्रेट एण्ड पॉलीटिकल कन्सल्टेशन बोर्ड कलेक्शन्स, वॉल्यूम 218, 7224, पृष्ठ 2
7. बंगाल सीक्रेट एण्ड पॉलीटिकल कन्सलटेशन, 4 अप्रेल, 1805 ई. पृ. 12
8. मिश्रा जटाधारी, 'जयी राजगुरू द मार्तर' इन कल्चरल हेरिटेज ऑफ ओड़िशा, पुरी (जि.) पृ. 239–248
9. उपर्युक्त
10. डॉ. बी. सी. रॉय फाउण्डेशन ऑफ ब्रिटिश उड़ीसा, न्यू स्टूडेण्ट्स स्टोर, कटक, 1959 ई.
11. उपर्युक्त
12. पटनाथक, पी. के. 'ए ग्रेट मार्तर' इन 'शहीद जयी राजगुरू स्थुवनियर', पुरी 2003, पृष्ठ 1–3
13. टॉयन्बी, एस., 'ए स्केच ऑफ द हिस्ट्री ऑफ उड़ीसा फॉम (1803 टू 1828 ई.) कलकत्ता, 1873 ई. पृष्ठ 5
14. उपर्युक्त
15. रथ शर्मा, पंडित सदाशिव, 'जयी राजगुरू', उत्कल प्रसंग, भुवनेश्वर, नवंबर 2002, पृष्ठ 47–49
16. दास, गोपाल कृष्ण, 'जयी राजगुरू': द पाथ फाइण्डर ऑफ फ्रीडम मूवमेन्ट ऑफ इण्डियाः इन 'उड़ीसा रिव्यू', भुवनेश्वर, अगस्त–2008 पृ. 35–39
17. उड़ीसा रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, वॉल्यूम–टप्प्ए कमीश्नर ऑफ कटक टू राजा ऑफ खुर्द, 1 अक्टूबर, 1804 ई.
18. डॉ. बी. सी. रॉय य फाउण्डेशन ऑफ ब्रिटिश उड़ीसा
19. एक्सेशन नं. 296, बोर्ड प्रोसीडिंग, ज्यूडिशिक OSAI
20. मदलापनजी–एडिटेड बाय मोहन्ती, ए. बी. पृ. 82 एण्ड पृ. 107 एण्ड महोपात्रा, केदारनाथ, 'खुर्दधरा इतिहास', भुवनेश्वर, 1969 ई., पृ. 293